ग्राम पंचायत भराड़ी, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024

भाग – एक

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/ 2006 -12669, दिनांक 07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भराड़ी, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 तक का अंकेक्षण, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोज़गार सेवक कार्यरत रहे।

प्रधान:-

क्र0सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुशीला देवी	01/04/2023 से 31/03/2024

सचिव:-

क्र0सं०	नाम	अवधि
1	श्री दिनेश कुमार	01/04/2023 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक:-

क्र0सं०	नाम	अवधि
1	श्री सुरेन्द्र सिंह	01/04/2023 से 31/03/2024

ग्राम रोज़गार सेवक:-

क्र0सं०	नाम	अवधि
1	श्री सुनील दत्त	01/04/2023 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत के लेखों अवधि 1-04-2023 से 31-03-2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक में भारी अंतर	4.2	45.82
2	अनुदान उपयोग हेतु शेष	6.1	43.28
3	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	7.1	0.41
4	पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना अनियमित भुगतान	8.1	3.73
5	भुगतान बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना	8.2	2.72
6	स्त्रोत पर जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती न करना	8.3	0.09
7	निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं प्रस्तुत न करना	9.1	8.13
8	फॉर्म 'X' या 'Y' प्राप्त किए बिना निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को भुगतान	9.2	4.06
9	आपूर्तिकर्ता के बिलों से वाईडस् (Voids) की कटौती न करनाः	9.4	0.23

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत का यह प्रथम अंकेक्षण है।

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भराड़ी, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 के लेखों का वर्तमान तथा प्रथम अंकेक्षण श्री तरूण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06/12/2024 से 23/12/2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में

निष्पादित किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वतः स्त्रोतों से आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः-

वर्ष	आय	व्यय
2023-24	06/23	03/24

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।"

नोटः-

2. 14 वां वित्त आयोग तथा 15 वां वित्त आयोग योजनाओं का अंकेक्षण ऑनलाइन माध्यम से किया गया है तथा सम्बंधित आपत्तियां "Audit Online" पोर्टल पर दर्ज है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत भराड़ी, विकास खण्ड संगडाह, जिला-सिरमौर के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600 (14वें व 15 वें वित्तायोग के ऑनलाईन अंकेक्षण अवधि 2023-24 सहित) आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 145 दिनांक 23/12/2024 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कसुम्पटी शिमला-171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः-

4.1 सचिव, ग्राम पंचायत भराड़ी द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक की **समेकित वित्तीय स्थिति (14 वां वित्त आयोग तथा 15 वां वित्त आयोग के अतिरिक्त सभी योजनाएं)** निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1** पर भी दिया गया हैः-

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2023-24	6840360.76	13601238	73658	**20515256.76**	12720982.9	**7794273.86**
दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों अनुसार अन्तशेष **परिशिष्ट-2**						**3212192.99**
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर **(₹7794273.86-₹3212192.99) परिशिष्ट-2**						**4582080.87**

4.2 रोकड़ बही व बैंक शेषों में ₹45.82 लाख के भारी अन्तर की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एंव 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 को ग्राम पंचायत में **परिशिष्ट-2** अनुसार रोकड़ बही व बैंक शेषों में निम्न विवरणानुसार **₹4582080.87** का भारी अन्तर पाया गया जिसकी बैंक अन्तर की बैंक समाधान विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकताः-

क्रम	योजना का नाम	अंतर की राशि (₹)
1	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)/पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (BASP)/आपदा राहत कोष (CRF)/खेलो इंडिया/राजीव गांधी खेल अभियान/ पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (KI/RGKA/PYKKA)/सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)/ विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)/ विकास में जन सहयोग (VMJS)/ एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)	3465824.37
2	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	151254.5
3	राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	38216
4	13वां वित्त आयोग (13th FC)	185430
5	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	741356
	कुल	**4582080.87**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नही हुआ जोकि आपत्तिजनक है । अतः उक्त भारी अन्तर की राशि

की बैंक समाधान विवरणियाँ शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त यह गम्भीर वित्तीय मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

4.3 बंद योजनाओं में ₹9.27 लाख की शेष राशि का समाधान न करनाः- .

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न योजनाओ से सम्बन्धित रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31/03/2024 को **₹926786 (परिशिष्ट-1)** की शेष राशि दर्शाई गई थी जबकि यह योजना आधिकारिक रूप से बन्द हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त इस योजना से सम्बन्धित बैंक खाते भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित न हो सका कि पंचायत द्वारा इस योजना की राशि का उचित समाधान किया गया है अथवा नहीं।

क्र0सं०	**योजना**	**दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंतशेष (₹)**
1	13वां वित्त आयोग (13th FC)	185430
2	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	741356
	कुल	**926786**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है । अतः उक्त योजनाओं में पड़ी शेष राशियों का बैंक खातों से मिलान करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उचित समाधान सुनिश्चित किया जाए व अपेक्षित अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 ₹0.03 लाख हस्तगत राशि को बैंक में जमा न करवानाः-

हि0प्र0 पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रावधानानुसार पंचायत सचिव द्वारा `₹1000 तक ही हस्तगत रोकड़ रख सकता है । अंकेक्षण के दौरान रोकड बहियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-1**अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान **₹2700** को निरन्तर हस्तगत रोकड दर्शाया जा रहा था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक

भी प्राप्त नही हुआ। अतः इस राशि को शीघ्र बैंक में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 पंचायत के स्वः-स्त्रोतों की आय-व्यय के लिये स्वतन्त्र बैंक खाते का संचालन न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है । परन्तु ग्राम पंचायत के लेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अवहेलना करते हुये स्वः स्रोत निधि के लिए बैंक खाते का स्वतन्त्र/पृथक रूप से संचालन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित है । अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा में निवेश न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार स्वः स्त्रोत निधि में अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी। अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना तथा **परिशिष्ट-2** अनुसार ग्राम पंचायत के स्वः स्त्रोत में दिनाँक 31/03/2024 को **₹3465810.36** की राशि शेष थी परन्तु सावधि जमा में कोई भी राशि निवेश नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि स्वः स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधिक जमा में निवेश किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6 अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹43.28 लाख उपयोग हेतु शेषः-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-1** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31/03/2024 को **₹4328463.5** की राशि

उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न तालिका में भी दिया गया है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार फडिंग एजेन्सी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित हैः-

क्र0सं०	**योजना**	**दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष (₹)**
1	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (BASP)	912955
2	आपदा राहत कोष (CRF)	132932
3	खेलो इंडिया/राजीव गांधी खेल अभियान/ पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान(KI/RGKA/PYKKA)	256
4	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ेशन प्लान (SDP)	200000
5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	167764
6	विकास में जन सहयोग (VMJS)	1678075
7	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)	108074
8	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	741356
9	13वां वित्त आयोग (13th FC)	185430
10	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	151621.5
11	राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	50000
	कुल योग	**4328463.5**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जाकि अनियमित है। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अवधि बढ़ौतरी की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 प्राप्त सहायता अनुदान ₹57.81 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक निम्न विवरणानुसार **₹5781480** की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित हैः-

क्रम संख्या	योजना	वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि (₹)
1	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (BASP)	1057480
2	आपदा राहत कोष (CRF)	630000
3	खेलो इंडिया/राजीव गांधी खेल अभियान/ पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान(KI/RGKA/PYKKA)	1500000
4	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	280000
5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	598000
6	विकास में जन सहयोग (VMJS)	1576000
7	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)	140000
	कुल योग	**5781480**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को यह अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.3 अनुदान से ₹48.81 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक निम्न विवरण अनुसार **₹4881149** की अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है:-

क्रम संख्या	योजना	वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान राशि से व्यय (₹)
1	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (BASP)	1171383
2	आपदा राहत कोष (CRF)	497068
3	खेलो इंडिया/राजीव गांधी खेल अभियान/ पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान(KI/RGKA/PYKKA)	1499744
4	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	80000

5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	649656
6	विकास में जन सहयोग (VMJS)	951372
7	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)	31926
	कुल योग	**4881149**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 141 दिनांक 11/12/2024 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7 पंचायत राजस्व/स्वः स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.41 लाख वसूली हेतु शेषः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व **परिशिष्ट- 3 व 4** के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 तक पंचायत में निम्न विवरणानुसार राजस्व राशि **₹40900** वसूली हेतु शेष थी-

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक 31/03/2024 को वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	गृहकर **(परिशिष्ट- 3)**	4900
2	भवन किराया **(परिशिष्ट- 4)**	36000
	कुल योग	**40900**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 दुकानों के किरायेदारों से अनुबन्ध का कार्यान्वयन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश सं0 पी०सी०एच-एच०पी(7)10/60 दिनांक 17/09/2008 में ग्राम पंचायत व्यवसायिक परिसरों/भवनों को किराए पर देने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-4** अनुसार किराये पर दी गई दुकानों को आबंटित करने से पूर्व कोई अनुबन्ध कार्यान्वित नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस बारे जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 144 दिनांक 20/12/2024 का अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है । अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व किरायेदारों के साथ अनुबन्ध कार्यान्वित करने के साथ-साथ देय किराये में निर्धारित अवधि उपरान्त बढ़ौतरी का भी प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.4 एक ही क्रमांक की 5 रसीद बुकें प्रयोग करना:-

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों की पडताल करने पर पाया गया कि पंचायत में एक ही रसीद क्रमांक (1 से 100) की 5 रसीद बुकें प्रयोग में लाई जा रही थी। जिससे प्राप्त राशियों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। चूंकि ग्राम पंचायतों को यह रसीद बहियाँ, जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेषित की जाती है इसलिए यह अनियमितता जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय सिरमौर के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

8 व्यय

8.1 पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना ₹3.73 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 के अनुसार किसी भी प्रकार का भुगतान पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना नहीं किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी क्योंकि **परिशिष्ट-5** पर वर्णित विवरण अनुसार **₹372752** के व्यय वाउचर पर प्रधान व सचिव द्वारा पारित आदेश (पे आर्डर) अंकित नही किए गए थे जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन

संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः पंचायत अपने स्तर पर छानबीन उपरान्त उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट करे तथा उचित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करे।

8.2 ₹2.72 लाख के भुगतान बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा तथा नियम 47 (1) के अनुसार प्रत्येक भुगतान बिल/वाउचर द्वारा समर्थित किया जाएगा। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना करके निम्न तालिका में वर्णित विवरणानुसार **₹271614.02** के भुगतान वाउचर/बिल अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

क्रम संख्या	योजना	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	बिल राशि (₹)
1	मनरेगा	निर्माण सिंचाई टैंक कुफ़रला पुन्नारधर, ग्रा०पं० भराडी	69	31-12-2022	18000
			155	17-10-2022	43494.72
			156	17-10-2022	17385.41
			2357	21-12-2022	37875.42
2	मनरेगा	निर्माण सिंचाई टैंक बनवाई पुन्नारधर, ग्रा०पं० भराडी	91	25-11-2022	19600
			92	25-11-2022	20250
			93	26-11-2022	60900
			2371	26-12-2022	5779.66
			2374	27-12-2022	48328.81
		कुल			**271614.02**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 जारी करके आवश्यक अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

8.3 स्त्रोत पर ₹0.09 लाख जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती न करना :-

जी0एस0टी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/ फर्म/ संस्था/ स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor) फर्म को सेवाएं एंव वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबन्ध में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% की दर से जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार को नगद अथवा बैक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न सेवाओं व वस्तु हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार से अपेक्षित जी०एस०टी टी०डी०एस कटौती राशि **₹8948** का विवरण **परिशिष्ट- 6** पर दर्ज है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः जी0एस0टी टी0डी0एस कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 स्त्रोत पर ₹0.02 लाख आयकर की कटौती न करना :-

आयकर अधिनियम की धारा '194 सी' के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor) फर्म को सेवाएं प्रदान करने के बदले एक बार/एकमुश्त ₹30000 से अधिक व एक वितीय वर्ष में ₹100000 से अधिक राशि के भुगतान पर न व्यक्ति व एचयूएफ (Person/HUF) से 1% की दर से तथा अन्य (Other than Person or HUF) से 2% की दर से आयकर की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार को नगद अथवा बैक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की गई प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न सेवाओं हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार से अपेक्षित टी०डी०एस कटौती राशि **₹1550** का विवरण निम्न तालिका में दर्ज है।

क्रम संख्या	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशि (₹)	टी०डी०एस कटौती दर	अपेक्षित कटौती (₹)
1	आपदा राहत कोष (CRF)	CRF/2023-24/P/9	रि० मार्ग गवाणु से चडग खाला	89	10-03-24	श्रीमती बसंती देवी	जे०सी० बी कार्य	75000	1%	750

		22-03-24								
2	आपदा राहत कोष (CRF)	CRF/2023-24/P/7 23-03-24	रि० लिंक रोड बगान जीरो पॉइंट से खुडवा	90	10-03-24	श्रीमती बसंती देवी	जे०सी० बी कार्य	80000	1%	800
कुल योग										**1550**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः आयकर टी०डी०एस कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यः-

9.1 ₹8.13 लाख के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-7** पर दर्ज निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु **₹812621.97** के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप इन भुगतानों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं हो सकी। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 जारी करके सचिव ग्राम पंचायत को बार-बार अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है। अतः अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों को प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इन्हें शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर फॉर्म 'X' या 'Y' प्राप्त किए बिना ठेकेदारों को ₹4.06 लाख का भुगतानः-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू प्रस्तुत करना

अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन.-(आर.डी. एवं पी.आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ती पर कुल सामग्री की मात्रा से सम्बंधित ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **परिशिष्ट- 8** में दर्ज विवरण अनुसार **₹406000** का अनियमित भुगतान किया गया। इस से यह प्रतीत होता है कि या तो निर्माण सामग्री की पूरी मात्रा में आपूर्ति नहीं की गई थी या भुगतान प्राप्त मात्रा से अधिक किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 ₹3.73 लाख के निर्माण कार्यों में भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति की सत्यापना बिना करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 के अन्तर्गत कार्य समिति/निगरानी समिति का गठन अनिवार्य है जिसकी निगरानी में पंचायत के समस्त विकास कार्य निष्पादित किए जाने अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया की **परिशिष्ट-5** पर दर्ज विवरण अनुसार निर्माण कार्यों में **₹372752** का भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति/मेट की सत्यापना बिना ही किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति/मेट की सत्यापना उपरांत ही किये जाने सुनिश्चित किये जायें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.4 आपूर्तिकर्ता के बिलों से 0.23 लाख के वाईडस् (Voids) की कटौती न करनाः-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री पर निर्धारित दर से वाइड्स (Voids) की कटौती नहीं की गई जबकि हि0प्र0 पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन 2.1.2.13 के अनुसार

बजरी की आपूर्ति पर 6 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 तक 5% व 25 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम0एम0 से लेकर 75 एम0एम0 तक 12.5% की दर से वाइड्स (Voids) की कटौती की जानी अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा क्रय सामग्री पर इस प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को **परिशिष्ट- 9** में दर्ज विवरण अनुसार **₹23363** अधिक भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः वॉइडस (Voids) की कटौती न करने को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.5 मस्ट्रोल में गणना की त्रुटि के कारण ₹240 का अधिक भुगतानः-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार पंचायत द्वारा दावों के भुगतान करने से पूर्व इनकी गणित सम्बन्धी शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार मस्ट्रोल में गणना की अंक गणितीय त्रुटि करके **₹240** का अधिक भुगतान किया गया जोकि आपत्तिजनक है।

योजना- मनरेगा
कार्य का नाम- नि० सुरक्षा दीवार मुख्य रास्ते
माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई

मस्ट्रौल	दिनांक	मस्ट्रौल अनुसार कुल कार्य दिवस	मजदूरी दर (₹/दिन)	सही गणना (₹)	मस्ट्रौल अनुसार गणना (₹)	अधिक भुगतान (₹)
5236	07-03-24	41	240	9840	10080	**240**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त अधिक भुगतान को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अभिलेख का अनुरक्षण न करना

10.1 ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करनाः-

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पत्तियों को दर्शाया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत द्वारा अर्जित/निर्मित सम्पत्तियों के ईन्द्राज से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त पोर्टल पर में पंचायत की चल-अचल सम्पति का ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत न करनाः-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 व हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक हैः-

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी		7 (3) व 10 (1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	बजट प्राक्कलन	11	37
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	खाता बही	7	29
9	तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति एस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)
10	दुकान किराया व गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर	10	33
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 144 दिनांक 20/12/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपति विवरणिका**:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया है।

12 **निष्कर्ष**:- ग्राम पंचायत के लेखों के रख-रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों मे वर्णित आपत्तियों के अनुसार सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

12 MAR 2025

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का0/प्राप्त
-1543-1547

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 99/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भराड़ी, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का0/प्राप्त

परिशिष्ट - '1'
"पैरा संख्या 4.1 व 4.3 में संदर्भित"

ग्राम पंचायत भराड़ी, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की समेकित वित्तीय स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
2023-24	6840360.76	13601238	73658	**20515256.76**	12720982.9	**7794273.86**

ग्राम पंचायत भराड़ी, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	3412228.26	548314	73658	**4034200.26**	568389.9	**3465810.36**
पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (BASP)	1026858	1057480	0	**2084338**	1171383	**912955**
आपदा राहत कोष (CRF)	0	630000	0	**630000**	497068	**132932**
खेलो इंडिया/राजीव गांधी खेल अभियान/ पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान(KI/RGKA/PYKKA)	0	1500000	0	**1500000**	1499744	**256**
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	0	280000	0	**280000**	80000	**200000**
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	219420	598000	0	**817420**	649656	**167764**
विकास में जन सहयोग (VMJS)	1053447	1576000	0	**2629447**	951372	**1678075**
एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)	0	140000	0	**140000**	31926	**108074**
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	741356	0	0	**741356**	0	**741356**
13वां वित्त आयोग (13th FC)	185430	0	0	**185430**	0	**185430**
एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	151621.5	0	0	**151621.5**	0	**151621.5**
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	50000	0	0	**50000**	0	**50000**
मनरेगा	0	7271444	0	**7271444**	7271444	**0**
कुल	**6840360.76**	**13601238**	**73658**	**20515256.76**	**12720982.9**	**7794273.86**

दिनांक 01/04/2023 को रोकड़ बही अनुसार प्रारंभिक शेष का विवरण

हस्तगत रोकड़	2700.00
रोकड़ बही अनुसार बैंक शेष	8754506.17
कुल	8757206.17

दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष का विवरण

हस्तगत रोकड़	2700.00
रोकड़ बही अनुसार बैंक शेष	8694162.27
कुल	8696862.27

परिशिष्ट -2
"पैरा संख्या 5.2 से संदर्भित"

ग्राम पंचायत भराड़ी, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही व बैंक अनुसार अन्तर का विवरण

योजना	बैंक	खाता संख्या	रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	बैंक अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	अंतर (₹)
सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, नोहराधार	56110100011	3465810.36	616076.01	
पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (BASP)			912955		
आपदा राहत कोष (CRF)			132932		
खेलो इंडिया/राजीव गांधी खेल अभियान/ पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान(KI/RGKA/PYKKA)			256		
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	भारतीय स्टेट बैंक, भराड़ी	33262121874	200000	4629.5	
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)			167764		
विकास में जन सहयोग (VMJS)		11632925154	1678075	2579336.48	
एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)			108074		
	कुल		6665866.36	3200041.99	3465824.37
एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	भारतीय स्टेट बैंक, भराड़ी	34389050252	151621.5	367	
		34389057633		0	
	कुल		151621.5	367	151254.5
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	भारतीय स्टेट बैंक, भराड़ी	11632925631	50000	11784	38216
13वां वित्त आयोग (13th FC)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		185430		185430
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		741356		741356
	कुल योग		7794273.86	3212192.99	4582080.87

परिशिष्ट-3
पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत भराड़ी, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31/03/2024 को गृहकर वसूली सम्बन्धी सुचना:-

वर्ष 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायत में परिवारों की संख्या- **467**

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति वर्ष गृहकर दर- **50 ₹/प्रति परिवार**

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2023-24	66550	23350	**89900**	85000	**4900**

परिशिष्ट-4
पैरा संख्या 7.1, 7.2 व 7.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत भराड़ी, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
दिनांक 31/03/2024 को दुकान व अन्य भवन किराया वसूली सम्बन्धी सूचना-

क्रम	विवरण	मासिक किराया (₹)	गत शेष (₹)	किराये की वार्षिक मांग (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
1	सी०बी०एम पब्लिक स्कूल को 2 कमरे किराये पर	600	28800	7200	36000	0	**36000**

नोट: भवन किरायेदार से कोई अनुबंध नहीं किया गया है।

Revised

परिशिष्ट-5

मनरेगा के अंतर्गत व्यय हेतु चयनित मास में मस्टरोल पर किये गए भुगतान का विवरण

"पैरा संख्या 8.1 व 9.3 में संदर्भित"

क्रम	योजना	कार्य का नाम	मस्टरोल संख्या	दिनांक	राशी (₹)
1	मनरेगा	नि० श्मशानघाट, वर्षा शालिका व चार दिवारी, ग्रा० पं० भराड़ी	5704	21-03-2024	13568
			5704	21-03-2024	2544
2	मनरेगा	नि० सुरक्षा दीवार मुखिया रास्ते के नीचे एस.सी. बस्ती भनरा, ग्रा० पं० भराड़ी	5236	07-03-2024	10080
3	मनरेगा		5673	21-03-2024	24000
4	मनरेगा	नि० सुरक्षा दीवार एस.सी. बस्ती ज्ञान आबादी, ग्रा० पं० भराड़ी	5237	07-03-2024	6240
5	मनरेगा	नि० गौशाला श्री नरेंदर पुत्र नीता राम, ग्रा० पं० भराड़ी	5132	07-03-2024	17280
			5399	21-03-2024	21120
6	मनरेगा	नि० भूमि सुधार श्री. ईश्वर दास पुत्र हुक्मी भानरा, ग्रा० पं० भराड़ी	5116	07-03-2024	11520
7	मनरेगा	नि० गौशाला श्रीमती. सीता देवी पत्नी सत्यपाल, ग्रा० पं० भराड़ी	5120	07-03-2024	12480
			5120	07-03-2024	1200
8	मनरेगा	नि० गौशाला श्री. अरुण पुत्र बाबू राम, ग्रा० पं० भराड़ी	5674	21-03-2024	26880
9	मनरेगा	नि० भूमि सुधार श्री मोहन पुत्र सूरत राम, ग्रा० पं० भराड़ी	5118	06-03-2024	24960
10	मनरेगा	नि० गौशाला श्री. विनोद पुत्र हरि चंद, ग्रा० पं० भराड़ी	5122	06-03-2024	24960
11	मनरेगा	नि०, ग्रा० पं० भराड़ी	5397	21-03-2024	21120
12	मनरेगा	नि० गौशाला श्री. पवन पुत्र राम लाल, ग्रा० पं० भराड़ी	5110	07-03-2024	14640
13	मनरेगा	नि० सुरक्षा दीवार श्री. सुनील पुत्र मोहन लाल, ग्रा० पं० भराड़ी	5238	06-03-2024	21840
			5401	21-03-2024	20160
14	मनरेगा	नि० सुरक्षा दीवार श्री. सूरत राम पुत्र शंकरू, ग्रा० पं० भराड़ी	5403	21-03-2024	10800
			5403	21-03-2024	960
15	मनरेगा	नि० ० पशुशेद श्री. नरेश कुमार पुत्र दौलत राम, ग्रा० पं० भराड़ी	5119	06-03-2024	18720
16	मनरेगा	नि० सुरक्षा दीवार श्री. वीरेन्द्र पुत्र कुन्दन सिंह, ग्रा० पं० भराड़ी	5112	07-03-2024	13440
			5112	07-03-2024	5040
17	मनरेगा	नि० पशुशेद श्री. नीता राम पुत्र बस्ती राम, ग्रा० पं० भराड़ी	5670	21-03-2024	12480
18	मनरेगा	नि० भूमि सुधार श्री. वीरेंद्र पुत्र कल्याण सिंह भानरा, ग्रा० पं० भराड़ी	5672	21-03-2024	21840
19	मनरेगा	नि० व्यक्तियों के लिए पीएमएवाई-जी घर का निर्माण -पीएमएवाई-जी रजिस्ट्रेशन नंबर- एच०पी०-154630124	5671	21-03-2024	6240
20	मनरेगा	नि० व्यक्तियों के लिए पीएमएवाई-जी घर का निर्माण -पीएमएवाई-जी रजिस्ट्रेशन नंबर- एच०पी०-154630125	5705	21-03-2024	3120
21	मनरेगा	नि० व्यक्तियों के लिए पीएमएवाई-जी घर का निर्माण -पीएमएवाई-जी रजिस्ट्रेशन नंबर- एच०पी०-154636421	5420	21-03-2024	4320
			5420	21-03-2024	1200
		कुल			**372752**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P Bharari
फोन-973[illegible]61012

व्यक्ति/फर्म/संविदकार से अपेक्षित जी०एस०टी टी०डी०एस कटौती राशि का विवरण

परिशिष्ट-6

"पैरा संख्या 8.3 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री व मात्रा	बिल राशी (₹)	टी०डी०एस कटौती दर	अपेक्षित कटौती (₹)
1	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/12 11-03-24	नि० भोंगर से भिंगराह तक लिंक रोड का चौड़ीकरण एवं अपग्रेड	299	?	श्री पूर्ण चंद शर्मा	रेत- 10 m^3 या 16 टन	28000	2%	560
2	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (BASP)	BASP/2023-24/P/13 15-03-24	नि० ग्रेडिंग लिंक रोड निचला चागोल से एससी बस्ती टिकराहां तक चौड़ीकरण	297	29-02-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	रेत- 23 m^3 या 36.8 टन	64400	2%	1288
3	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)	ICDS/2023-24/P/1 16-03-24	नि० आंगनवाड़ी शौचालय, चुमू	303	07-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	ईंट- 1500.	15000	2%	300
4	आपदा राहत कोष (CRF)	CRF/2023-24/P/8 21-03-24	रि० सुरक्षा दीवार राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भराड़ी	307	11-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	पत्थर- 25 m^3 या 56 टन	37500	2%	750
				308	12-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 4 m^3 या 6.24 टन	12000	2%	240
5	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (BASP)	BASP/2023-24/P/14 22-03-24	नि० ग्रेडिंग लिंक रोड निचला चागोल से एससी बस्ती टिकराहां तक चौड़ीकरण	298	01-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 9 m^3 या 14.04 टन	27000	2%	540
6	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/16 22-03-24	नि० भोंगर से भिंगराह तक लिंक रोड का चौड़ीकरण एवं अपग्रेड	300	04-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 3 m^3 या 4.68 टन	9000	2%	180
7	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	OWN/2023-24/P/28 22-03-24	रि० कुहल चडग खड्ड से घराट	278	12-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	रेत- 5 m^3 या 8 टन	13000	2%	260
				280	12-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 8 m^3 या 12.48 टन	20000	2%	400
8	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	OWN/2023-24/P/29 22-03-24	नि० सुरक्षा दीवार लिंक रोड भराड़ी चुमनु रस्ते के साथ	274	10-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	रेत- 7 m^3 या 11.2 टन	15600	2%	312

				275	10-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 2.5 m^3 या 3.9 टन	6500	2%	130
				276	10-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	पत्थर- 14 m^3 या 31.36 टन	13000	2%	260
				276	10-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	सीमेंट ढुलाई	920	2%	18
9	मनरेगा		नि० पक्का रास्ता चोकन से निगाली, ग्रा०पं० भराडी	198	01-06-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	रेत- 32 m^3 या 51.2 टन	89500	2%	1790
				199	01-06-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी 20 मी०मी० व 40 मी०मी०- 9 m^3 व 23 m^3 49.92 टन	96000	2%	1920
						कुल				**8948**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P Bharari
फोन-9736161012

Revised

निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं प्रस्तुत किये बिना किये गए भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-7

"पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक/ कार्य का नाम	मस्टररोल संख्या/ बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)
1	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/13 11-03-24 नि० सामुदायिक भवन एससी बस्ती चुमनु भरारी	233	?	श्री कमल राज वर्मा	रेत- 2 m³ या 3.2 टन	5600
			640	12-03-24	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 50 बैग	20151
			456	05-12-23	मै० श्री हरीहर फर्नीचर उद्योग	160 Ft² लकड़ी	9440
2	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (BASP)	BASP/2023-24/P/13 15-03-24 नि० ग्रेडिंग लिंक रोड निचला चागोल से एससी बस्ती टिकराहां तक चौड़ीकरण	297	29-02-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	रेत- 23 m³ या 36.8 टन	64400
			642	12-03-24	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 117 बैग	47151
3	आपदा राहत कोष (CRF)	CRF/2023-24/P/8 21-03-24 रि० सुरक्षा दीवार राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भराड़ी	307	11-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	पत्थर- 25 m³ या 56 टन	37500
			308	12-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 4 m³ या 6.24 टन	12000
4	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (BASP)	BASP/2023-24/P/14 22-03-24 नि० ग्रेडिंग लिंक रोड निचला चागोल से एससी बस्ती टिकराहां तक चौड़ीकरण	298	01-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 9 m³ या 14.04 टन	27000
5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/16 22-03-24 नि० भोंगर से भिंगराह तक लिंक रोड का चौड़ीकरण एवं अपग्रेड	300	04-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 3 m³ या 4.68 टन	9000
6	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	OWN/2023-24/P/28 22-03-24 रि० कुहल चडग खड्ड से घराट	278	12-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	रेत- 5 m³ या 8 टन	13000
			280	12-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 8 m³ या 12.48 टन	20000
7	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	OWN/2023-24/P/29 22-03-24 नि० सुरक्षा दीवार लिंक रोड भराड़ी चुमनु रस्ते के साथ	274	10-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	रेत- 7 m³ या 11.2 टन	15600

			275	10-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 2.5 m^3 या 3.9 टन	6500
			276	10-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	पत्थर- 14 m^3 या 31.36 टन	13000
			276	10-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	सीमेंट ढुलाई	920
8	आपदा राहत कोष (CRF)	CRF/2023-24/P/9 22-03-24 रि० मार्ग गवाणु से चडग खाला	89	10-03-24	श्रीमती बसंती देवी	जे०सी०बी कार्य	75000
9	आपदा राहत कोष (CRF)	CRF/2023-24/P/7 23-03-24 रि० लिंक रोड बगान जीरो पॉइंट से खुडवा	90	10-03-24	श्रीमती बसंती देवी	जे०सी०बी कार्य	80000
10	मनरेगा	पौधारोपन रानी का टिकरा, जी. पी. भरारी	6	03-08-23	मै० तोमर पौधशाला	1000 पौधे	40000
11	मनरेगा	नि० चेक डैम मंज्या खड्ड से टिकरा तक, ग्रा०पं० भराड़ी	2576	02-05-23	ॐ जनरल स्टोर	क्रेट वायर- 12800 कि०ग्रा	13017.6
12	मनरेगा	नि० चेक डैम/स्पर चिंदोग सड़क के साथ, ग्रा०पं० भराड़ी	2577	03-05-23	ॐ जनरल स्टोर	क्रेट वायर- 13318 कि०ग्रा	13542.37
13	मनरेगा	पौधरोपन श्री. दयानंद पुत्र सही राम, जी. पी. भरारी	20	01-07-23	मै० तोमर पौधशाला	1000 पौधे	40000
			215	01-07-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	पौधों की ढुलाई	2500
			314	10-05-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	पौधों की ढुलाई	3000
14	मनरेगा	नि० पक्का रास्ता चोकन से निगाली, ग्रा०पं० भराडी	198	01-06-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	रेत- 32 m^3 या 51.2 टन	89500
			199	01-06-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी 20 मी०मी० व 40 मी०मी०- 9 m^3 व 23 m^3 49.92 टन	96000
15	मनरेगा	सुरक्षा दीवार मुखिया रास्ते के नीचे एस.सी. बस्ती भनरा, ग्रा०पं० भराडी	5236	07-03-24	मस्टररोल भुगतान		10080
			5673	21-03-24	मस्टररोल भुगतान		24000
16	मनरेगा	नि० सुरक्षा दीवार एससी बस्ती ज्ञान आबादी, ग्रा०पं० भराडी	5237	07-03-24	मस्टररोल भुगतान		6240
17	मनरेगा	सुरक्षा दीवार श्री. वीरेंद्र पुत्र कुन्दन सिंह, ग्रा०पं० भराडी	5112	07-03-24	मस्टररोल भुगतान		13440
			5112	07-03-24	मस्टररोल भुगतान		5040
			कुल				**812621.97**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P Bharari
फोन-9736151012

निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-8

"पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री व मात्रा	बिल राशी (₹)	टिपण्णी
1	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/12 11-03-24	नि० भोंगर से भिंगराह तक लिंक रोड का चौड़ीकरण एवं अपग्रेड	299	?	श्री पूर्ण चंद शर्मा	रेत- 10 m^3 या 16 टन	28000	फॉर्म 'X' केवल 9 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
2	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (BASP)	BASP/2023-24/P/13 15-03-24	नि० ग्रेडिंग लिंक रोड निचला चागोल से एससी बस्ती टिकराहां तक चौड़ीकरण	297	29-02-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	रेत- 23 m^3 या 36.8 टन	64400	फॉर्म 'X' केवल 24 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
3	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)	ICDS/2023-24/P/1 16-03-24	नि० आंगनवाड़ी शौचालय, चुमू	303	07-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	ईंट- 1500	15000	फॉर्म 'X' प्रस्तुत नहीं किये गए।
4	आपदा राहत कोष (CRF)	CRF/2023-24/P/8 21-03-24	रि० सुरक्षा दीवार राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भराड़ी	307	11-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	पत्थर- 25 m^3 या 56 टन	37500	फॉर्म 'X' प्रस्तुत नहीं किये गए।
5	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (BASP)	BASP/2023-24/P/14 22-03-24	नि० ग्रेडिंग लिंक रोड निचला चागोल से एससी बस्ती टिकराहां तक चौड़ीकरण	298	01-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 9 m^3 या 14.04 टन	27000	फॉर्म 'X' केवल 10 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
6	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	OWN/2023-24/P/28 22-03-24	रि० कुहल चडग खड्डु से घराट	280	12-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 8 m^3 या 12.48 टन	20000	फॉर्म 'X' केवल 8 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
7	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	OWN/2023-24/P/29 22-03-24	नि० सुरक्षा दीवार लिंक रोड भराड़ी चुमनु रस्ते के साथ	274	10-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	रेत- 7 m^3 या 11.2 टन	15600	फॉर्म 'X' केवल 7 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
				276	10-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	पत्थर- 14 m^3 या 31.36 टन	13000	फॉर्म 'X' प्रस्तुत नहीं किये गए।
8	मनरेगा		नि० पक्का रास्ता चोकन से निगाली, ग्र०पं० भराडी	198	01-06-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	रेत- 32 m^3 या 51.2 टन	89500	फॉर्म 'X' केवल 35 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
				199	01-06-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी 20 मी०मी० व 40 मी०मी०- 9 m^3 व 23 m^3 49.92 टन	96000	फॉर्म 'X' केवल 35 मीट्रिक टन के लिए प्रस्तुत किये गए।
				कुल				**406000**	

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P Bharari
फोन-9735161042

वाइड्स (Voids) की अपेक्षित कटौती का विवरण **परिशिष्ट-9**

"पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री व मात्रा	बिल राशी (₹)	अपेक्षित कटौती	कटौती राशी (₹)
1	आपदा राहत कोष (CRF)	CRF/2023-24/P/8 21-03-24	रि० सुरक्षा दीवार राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भराड़ी	307	11-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	पत्थर- 25 m^3 या 56 टन	37500	12.5%	4688
				308	12-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 4 m^3 या 6.24 टन	12000	10%	1200
2	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (BASP)	BASP/2023-24/P/14 22-03-24	नि० ग्रेडिंग लिंक रोड निचला चागोल से एससी बस्ती टिकराहां तक चौड़ीकरण	298	01-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 9 m^3 या 14.04 टन	27000	10%	2700
3	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/16 22-03-24	नि० भोंगर से भिंगराह तक लिंक रोड का चौड़ीकरण एवं अपग्रेड	300	04-03-24	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 3 m^3 या 4.68 टन	9000	10%	900
4	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	OWN/2023-24/P/28 22-03-24	रि० कुहल चडग खड्डु से घराट	280	12-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 8 m^3 या 12.48 टन	20000	10%	2000
5	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	OWN/2023-24/P/29 22-03-24	नि० सुरक्षा दीवार लिंक रोड भराड़ी चुमनु रस्ते के साथ	275	10-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी- 2.5 m^3 या 3.9 टन	6500	10%	650
				276	10-12-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	पत्थर- 14 m^3 या 31.36 टन	13000	12.5%	1625
6	मनरेगा		नि० पक्का रास्ता चोकन से निगाली, ग्र०पं० भराडी	199	01-06-23	श्री पूर्ण चंद शर्मा	बजरी 20 मी०मी० व 40 मी०मी०- 9 m^3 व 23 m^3 49.92 टन	96000	10%	9600
						कुल				**23363**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P. Bharari.
फोन-9736161012